

11/271576/2023

संख्या-1236/अरसठ-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मध्याह्न भोजन प्राधिकरण,

उ०प्र० लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक ०७ फरवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिवर्तन लागत की दरों में परिवर्धन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-म०भो०प्रा०/2422/2022-23 दिनांक 25-11-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नवीन परिवर्तन लागत दर रु० 5.45 एवं रु० 8.17 को लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार के पत्र दिनांक 07-10-2022 द्वारा मैटीरियल कास्ट (परिवर्तन लागत) की संशोधित दरों को, भारत सरकार से परिवर्तन लागत की संशोधित दरों के अनुसार धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त संशोधित दरों पर भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by ऋषिकेश दूबे

Date: 07-02-2023 13:08:53

Reason: Approved

(ऋषिकेश दूबे)

विशेष सचिव।